.2.2022 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने ~~कार्य~~ कन्डोलेन्स ~~का बहिष्कार~~ किया है। P.O. साहब ~~मीट~~ ~~मय~~/अवकाश पर/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दि० 2-12-2022 को पेश हो।

रीडर

2-12-2022 वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 26-12-2022 को पेश हो।

26-12-2022 वकील उभयपक्ष उप०। सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कायमी रिसीवरी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
41/2022	12.5.2022	26.12.2022

1. राजकुमार पुत्र राधेश्याम शर्मा
2. संजय शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा
3. सीमा शर्मा पुत्री राधेश्याम शर्मा

जाति ब्राह्मण हाल निवासी 4669 चरक वालन चौक वल्ली मारान चांदनी चौक, देहली–6 ——सायलान

बनाम

1. मु0 शांति बेवा गोपाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. सीतादेवी पुत्री गोपाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर

उपस्थित :– श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट सायलान की ओर से
श्री अरविन्द अग्रवाल, एडवोकेट गैरसायल नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

सायलान ने प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर इस आशय का पेश किया है कि सायलान की माता श्रीमती छोटा देवी द्वारा एक दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् भूमि ख0नं0 1654, 2189, 2196, 2204, 2206, 2228, 2233, 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2263 ग्राम उदेईकलां प्रस्तुत किया गया था जिसमें सायलान की माता छोटा देवी द्वारा विवादित भूमि में 1/2 हिस्से की घोषणां खातेदारी चाही गईथी। यह दावा दिनांक 23.10.2018 को निर्णित हो गया जिसकी अपील सायलान द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर लिया गया एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया। इसकी अपील गैरसायलान द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जो विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि सायलान की व गैरसायलान की पैत्रक भूमि है जिसमें सायलान का संयुक्त रूप से 1/2 भाग है। श्रीमती छोटा देवी मृतक मिश्रीलाल की पुत्री है तथा सायलान की माताजी है। श्रीमती छोटा देवी की मृत्यु हो चुकी है। गैरसायल संख्या 1 मृतक मिश्रीलाल के पुत्र गोपाल की बेवा पत्नी है तथा गैरसायल संख्या 2 स्व0 गोपाल की पुत्री है। गोपाल के कोई पुत्र संतान नहीं है। मिश्रीलाल की छोड़ी हुई सम्पत्ती में कानूनन सायलान का संयुक्त रूप से 1/2 व गैरसायलान का 1/2 हिस्सा है। अभी भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। सायलान के नाना मिश्रीलाल की मृत्यु के बाद खातेदारी नामान्तरकरण गलत तौर से गोपाल व मिश्रीलाल के नाम दर्ज हो गया जबकि सायलान की मां छोटा देवी का आधा भाग दर्ज होना चाहिए था। गोपाल की मृत्यु के बाद समस्त भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज हो गई है। गैरसायलान सायलान की मां छोटादेवी के हिस्से की पैदावार बांट दिया करते थे। अब माह चैत्र सुदी सं0 2046 में छोटादेवी जब अपने हिस्से का अनाज

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:10 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

लेने गांव आई तो गैरसायलान ने हिस्सा देने से स्पष्ट मना कर दिया इसलिए सायलान की मां को दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । विपक्षीगण माननीय न्यायालयों के आदेशों के बाबजूद वादग्रस्त भूमि को औने पौने दामों पर रजिस्टर्ड दस्तावेजों के बिना मौखिक/स्टाम्पों के जरिए रहन वय करने पर आमादा हैं एवं उक्त वर्णित भूमि पर दीगर लोगों को कब्जे में दिए जाने पर आमादा हैं। इस तरह से वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन वय या अन्य दीगर जगह व्यक्ति को हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इसके अलावा भूमि में काश्त कर सायलान को मजाहमत पैदा कर रखी है। उक्त कारणों से वादग्रस्त भूमि की सुरक्षार्थ एवं सायलान के हितों की रक्षार्थ समस्त सम्पत्तियों की देखरेख व संरक्षण के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र रिसीवरी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैर सायलान स्वीकार फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 1654, 2189, 2196, 2204, 2206, 2228, 2233, 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2263 कुल किता 13 कुल रकबा 12.27 है0 ग्राम उदेईकलां पर रिसीवर कायम किया जावे। रिसीवर को यह आदेश व निर्देश भी दिए जावें कि वर्णित वादग्रस्त भूमि को रिसीवरी में लेने के पश्चात् उनसे होने वाली समस्त आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से रखें एवं उनकी देखरेख करते रहें व उन्हें खुर्दबुर्द नहीं होने दें। सायलान नियमानुसार रिसीवर की फीस अदा करने को तैयार हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 सूचनोपरांत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वर्तमान में माननीय न्यायालय में किसी प्रकार का वाद विचाराधीन नहीं है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सायलान की माता द्वारा गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया गया था, सम्पत्ती से सायलान की माता का कोई वास्ता नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि ना तो सायलान की पैत्रक भूमि है ना ही संयुक्त रूप से कोई हिस्सा है। गैरसायलान के नाम नामान्तरकरण सही प्रकार से खोला गया है एवं वादग्रस्त भूमि पर गैरसायलान का निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। सायलान का यह कहना गलत है कि उनकी मां चैत्र सुदी सम्बत् 2046 में अपना हिस्सा लेने आई हो। सायलान ने ये तथ्य गनगढन्त रूप से दर्ज किए हैं। सायलान का कोई भी किसी भी प्रकार का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है इस कारण इनका यह रिसीवरी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र विरूद्ध हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र रिसीवरी के समर्थन में सायलान ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 606 ग्राम उदेईकलां, सत्यप्रतिलिपि निर्णय दिनांक 30.11.2021 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में गैरसायल ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
र सिटी (स०मा०)

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

सायलान के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र रिसीवरी के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि सायलान की पैत्रक भूमि है जिसमें सायलान की माता का 1/2 हिस्सा है क्योंकि यह भूमि पूर्व में मिश्रीलाल की खातेदारी की भूमि रही है। मिश्रीलाल की मृत्यु के बाद यह भूमि गलत रूप से मिश्रीलाल के पुत्र गोपाल के नाम दर्ज कर दी गई एवं गोपाल की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि व बेटी के नाम दर्ज कर दी गई जबकि गोपाल के साथ साथ सायलान की माता का नाम भी भूमि में दर्ज होना चाहिए था। इस सम्बन्ध में सायलान की माता ने एक मुकदमा घोषणां खातेदारी का इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो खारिज हो गया। इसकी अपील श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत हुई जो स्वीकार कर ली गई परन्तु इसके विरूद्ध अपील वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में चल रही है। गैरसायलान वादग्रस्त भूमि को बेचान कर व अन्य तरीकों से खुर्दबुर्द कर रहे हैं इसलिए भूमि की सुरक्षा हेतु व सायलान के हितों की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर कायम किया जावे।

गैरसायलान के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय में कोई मुकदमा किसी भी प्रकार का विचाराधीन नहीं है ऐसी स्थिति में सायलान को यह रिसीवरी प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि से सायलान का व इनकी माता का कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। इन्होने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से विदित है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान में सायलान कोई भी वाद किसी भी प्रकार का विचाराधीन नहीं है एवं वगैर किसी वाद के सायलान रिसीवरी प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नहीं रखते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सायलान ने गलत आधार पर प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कायमी रिसीवर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर मम्बर कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)